



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-26.03.2025

विषय:- अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त सौरभ सोनकर को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व में थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0205/24 धारा 363 भा0द0वि0 व बढोत्तरी धारा 376 भा0द0वि0 व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट थाना कैण्ट कमि0 वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त सौरभ सोनकर पुत्र दोरजीराम सोनकर निवासी वर्तमान पता अशोक विहार कालोनी थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी, स्थायी पता मोहल्ला लल्लू सराय थाना घण्टा घर जिला सम्भल को दिनांक-25.03.2025 को समय करीब 19.00 बजे महावीर मंदिर अर्दली बाजार थाना कैण्ट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- दिनांक 10.06.2024 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने खुद की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष के बिना बताये नाराज होकर घर से कहीं चली जाने व वापस न आने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर थाना कैण्ट में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सौरभ सोनकर पुत्र दोरजीराम सोनकर निवासी वर्तमान पता अशोक विहार कालोनी थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी, स्थायी पता मोहल्ला लल्लू सराय थाना घण्टा घर जिला सम्भल, उम्र करीब 20 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- महावीर मंदिर अर्दली बाजार थाना कैण्ट वाराणसी से, दिनांक-25.03.2025 को समय करीब 19.00 बजे ।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0205/24 धारा 363,376 भा0द0वि0 व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट थाना कैण्ट कमि0 वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुरेन्द्र शुक्ल, उ0नि0 मो0 सुहैल व उ0नि0 बलवन्त कुमार थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी ।